समता ज्योति

वर्ष : 17 अंक : 04 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अप्रेल, 2026

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

महिला आरक्षण: पहली बार संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं करा पाई सरकार

नई दिल्ली। महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इसे विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, वहीं भाजपा का कहना है कि विपक्ष को इसके लिए महिलाओं का विरोध झेलना पड़ेगा। वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया।

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन विधेयक पर लंबी और गहन चर्चा के बाद कुल 528 सांसदों ने वोट डाला, जिसमें 298 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और 230 ने विपक्ष में मतदान किया। हालांकि, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत यानी 352 वोट प्राप्त नहीं हो सके।

इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि यह विधेयक दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित नहीं हो सका। कुल 528 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें 298 सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में वोट डाला। यह विधेयक आवश्यक समर्थन नहीं जुटा सका, इसलिए आगे की विधायी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके बाद संबंधित दो अन्य विधेयकों पर भी सरकार ने मतदान कराने का निर्णय नहीं लिया।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने से जुड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक था। इसी पर यह नतीजा आया है। विपक्ष ने इसमें साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है। आपने एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम उन्हें अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले 12 वर्षों में यह पहली बार है जब मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका।

बिल में क्या था प्रस्ताव

संविधान संशोधन विधेयक के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रस्ताव था। साथ ही 2029 के आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की योजना शामिल थी। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान रखा गया था ताकि आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

आगे की राह क्या ?

परिसीमन अब जनगणना के बाद: सरकार यदि कोई बदलाव नहीं करती है, तो परिसीमन अब 2026 की जनगणना के बाद होगा। 2002 में लागू संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम-2001 ने 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या पर लगी रोक 2026 तक बढ़ाई थी। अब अगली जनगणना और उसके आधार पर परिसीमन का इंतजार करना होगा। यानी 2029 में महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकेगा।

* 2026 के बाद, सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगी रोक सांविधानिक रूप से हट जाएगी। सरकार जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कर पाएगी। इसके लिए जो कानून बनेगा, उसे पारित करने के लिए सिर्फ सामान्य बहुमत जरूरी होगा।

अब राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकेगा विधेयक: संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उसका दोनों सदनों में अलग-अलग दो तिहाई बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। लोकसभा में विधेयक गिर जाने पर वह वहीं खत्म हो जाता है। उसे फिर राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता।

लंबी बहस के बाद फैसला

इस विधेयक पर सदन में करीब 21 घंटे तक विस्तृत चर्चा चलीए जिसमें कुल 130 सांसदों ने भाग लिया। इनमें 56 महिला सांसद भी शामिल रहीं, जिन्होंने अपने-अपने पक्ष रखे। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और स्पष्ट किया कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में एससी-एसटी समुदाय की सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही धर्म के आधार पर आरक्षण की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए शाह ने दक्षिणी और छोटे राज्यों को परिसीमन के बाद भी उनके उचित प्रतिनिधित्व का पूर्ण आश्वासन दिया है। वोटिंग से ठीक पहले गृह मंत्री के इस कड़े रुख ने इस विधेयक के ऐतिहासिक महत्व और राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा दिया है।

लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह केवल महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था, बल्कि चुनावी व्यवस्था में बदलाव की कोशिश थी। उनके मुताबिक यह संविधान की मूल भावना पर हमला थाए जिसे विपक्ष ने मिलकर रोक दिया।

पीएम मोदी ने की थी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान से पहले सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की थी। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि देश की आधी आबादी को निर्णय लेने में उनका उचित स्थान मिले। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसा कुछ भी न करें, जिससे पूरे भारत की महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे। करोड़ों महिलाएं हमें देख रही हैं। हमारे इरादों और फैसलों को। मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधनों के समर्थन का अनुरोध करता हूं। मैं सभी सांसदों से अपील करना चाहता हूं, कृपया अपनी अंतरात्मा से विचार करें, अपने परिवारों की महिलाओं को याद रखें। हमारी नारी शक्ति को नए अवसरों से वंचित न करें।

अध्यक्ष की कलम से

''शाबाश भाजपा''

साथियों,

जी नहीं। हम न तो भाजपा का समर्थन करते है नही काँग्रेस के विरोधी हैं। हम सच में निराश है। प्रधानमंत्री का नारा ''काग्रेस मुक्त भारत'' प्रमाणित होता दिख रहा है। देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए । लेकिन यदि नहीं है तो इसके लिये भाजपा की भी नीतियों को नहीं सराहें ये तो न्यायसंगत नहीं है।

बेशक भाजपा की नीतियाँ बहुत गहरी और तात्कालिक होने के साथ साथ दूरगामी प्रभाव की भी होती है। इसमें ताजा उदाहरण महिला आरक्षण बिल का है। जब पांच प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं तब संसद का विशेष अधिवेशन बुलाकर इस बिल पर तीन संशोधन पास करवाए जाने का पासा फेका और पूरा विपक्ष गोलबंद होकर उसमें उलझ गया। हालांकि बिल पास नहीं हुआ लेकिन मीडिया रिपोर्टों और विद्वानों के अनुसार भाजपा जीत गई है।

इससे पहले बिहार चुनाव से पहले एस.आई.आर. की वर्जिश ऐसी करी कि विपक्ष को पसीना आ गया और वो अंटाचित। और भी पहले बात करें तो धर्म का ऐसा शानदार प्रयोग किया कि विपक्ष न विरोध कर सका न समर्थन । हाल ही यूजीसी नियमों का बडा दाव चला गया है और पूरे विपक्ष के मुंह में दही जमा दिया है। और 2014 से पहले की बात करें तो तो भाजपा ने अपनी अपनी सदस्य संख्या बढाई और केन्द्र पर कब्जा कर लिया जबकि विपक्ष रैलियों में भीड देखकर बाराता रहा। बस, इसीलिये । शाबाश भाजपा।

जय समता ।

सम्पादकीय

''विकास एक छाया गीत है''

पाठकों को याद होगा तो भी हम दोहरा देते हैं कि अपने सम्पादकीय में हमने जाति आरक्षण के लिये ''रक्तबीज'' शब्द का प्रयोग किया था। पौराणिक तथ्यों के अनुसार देवी भागवत ग्रन्थ कहता है कि शुंभ और निशुंभ दैत्यराजाओं का सेनापति था रक्तबीज । इसका सिर कटने पर जहां भी इसका रक्त गिरता था वही पर एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। अन्तत: देवी दुर्गा ने उसका सारा रक्त पीकर उसे समाप्त किया।

देवीभागवत का वह तथ्य आज आजाद देश में साक्षात दिखाई पड़ रहा है। संविधान में मूल रूप से जाति आरक्षण की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में जातियों को ही पिछड़ा मानकर जाति आरक्षण पर मुहर लगा दी गई और बिना संसद की स्वीकृति के उसे ही भारत का भाग्य बना दिया गया!! क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ''ला ऑफलेण्ड'' माना जाता था। आज वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उनके फैसलों को लाभ केवल उन्हें मिलेगा जो उसका दरवाजा खटखटायेंगे । अद्भुत है ???

20 सितम्बर 2023 को पास हुआ महिला आरक्षण बिल 16 अप्रैल 2025 को फिर से संसद में रखा गया और 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करवा कर संसद में सांसदों की संख्या लगभग 850 करने का संशोधन प्रस्तावित था लेकिन वह 54 मतों से गिर गया। हालांकि अभी महिलाओं को 33 प्रतिशत का मुददा लटक गया है लेकिन भाजपा को इससे बडा लाभ होने की घोषणा मीडिया कर रहा है।

महिलाओं को आरक्षण पर किसी को कोई एतराज नहीं है न होना चाहिये। क्योंकि भारत वो देश है जिसने संविधान लागू होते ही महिलाओं को समान मताधिकार देकर यूरोप के उन कथित विकसित देशों को चौका दिया था जहाँ की महिला समान मताधिकार का हक पाने के लिये आन्दोलन कर रही थीं। लेकिन पांच राज्यों में विभानसभा चुनावों से ठीक पहले या बीच में तीन दिन का विशेष अधिवेशन बुलाकर इस बिल को लटकाना दर्शाता है कि ''आरक्षण'' ही अब सत्ता प्राप्ति का एकमात्र उपकरण रह गया है। क्योंकि लिंग और जात के आधार पर आरक्षण की आज्ञा संविधान नहीं देता है।

पार्टियों का विकास के नाम पर वोट मांगना सफेद झूठ है। असल में देश की छ: राष्ट्रीय पार्टियों में तीन साफतौर पर 298 सदस्यों की संविधान सभा के सदस्यो को अपमानित करके अम्बेडकरवादी बनी फिर रही है और देश के लोगो का अंग्रेजों से भी बढकर फूट डालकर शासन कर रही है। जबकि महिला आरक्षण का एक बड़ा सच ये है कि 1928 में पंडित जवाहर लाल नेहरु के पिता और प्रकाण्ड बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू ने 19 मौलिक अधिकारों की जो सूची कांग्रेस महासमिति को सौपी थी उनमें महिला आरक्षण शामिल था। यानि संसद में गिरा महिला आरक्षण बिल अपने मूल विचार में सौ साल पुराना है।

हमारी चिंता ये है कि जात आरक्षण के नाम पर लोगों का जो बटवारा हुआ है वह महिला आरक्षण से और बढ़ेगा। क्योंकि अब 33 प्रतिशत आरक्षण में भी एससी-एसटी-ओबीसी-एसबीसी-ईडब्ल्यूएसआदि लागु करना पडेगा। अर्थात आरक्षण का रक्तबीज अमर रहेगा॥

जय समता।

– योगेश्वर झाड़सरिया –

आरक्षण का चक्रव्यूह

भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है लेकिन समाज के प्रत्येक दलित एवं पिछड़े वर्ग के सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से इसे शिक्षा एवं सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सुविधा प्रारम्भ के 10 वर्षों के लिए प्रदान की गई।

पिछड़े वर्ग के सामाजिक उत्थान की दृष्टि से किये गये इस प्रावधान का किसी ने भी विरोध नहीं किया लेकिन 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, इसे अपर्याप्त बताते हुये दलित वर्ग के नेताओं ने इसे पुन: 10 वर्ष बढाने की मांग की, जिसका भी किसी ने विरोध नहीं किया।

धीरे-धीरे नेताओं ने इस व्यवस्था का दुरूपयोग करना शुरू कर दिया जो भी इस प्रावधान का विरोध करता, उसे दलित विरोधी बता कर चुप करा दिया जाता और इस प्रावधान की आड़ लेकर जातीय नेताओं ने अपनी वोट राजनीति चमकानी शुरू कर दी। आज इस आरक्षण की बीमारी ने इतनी गहरी जड़े जमा ली है कि इसे हटाने की कोई सोच भी नहीं सकता।

अत्यंत दुख की बात तो यह है कि दलित वर्ग में ज्यादा लोकप्रियता हासिल करने के लिए 1989 में अत्याचार निवारण की व्यवस्था जोड़ कर इसे और अधिक घातक बना दिया गया। इस नये प्रावधान के अनुसार किसी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को जाति सूचक शब्द से सम्बोधित करना भी अपमानित करना एक ऐसा दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया जिसके लिए किसी भी आरोपित व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को मिल गया। इससे निर्दोष व्यक्तियों को प्रताड़ित करने के मामले बढ़ गये और इस प्रावधान का मनमाना दुरूपयोग करना आसान हो गया।

इस प्रावधान के बढते दुरूपयोग को देखते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अत्याचार निवारण संबंधी प्रावधानों को अन्यायपूर्ण मानते हुये इसे रद्द घोषित कर दिया। इससे दलितों की राजनीति करने वाले नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने का बहाना मिल गया और देश में जगह-जगह दंगे भड़का कर सार्वजनिक सम्पत्ति को जलाया गया तथा इस प्रावधान को पुन: लागु करने का दबाव बनाया गया।

यदपि यह देश के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था लेकिन दलित वोट बैंक खिसकने के डर से केन्द्र सरकार घबरा गई और तुरंत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम 2018 के नाम से नया विधेयक पारित कर इसे पुन: लागू कर दिया गया।

जो सवर्ण वर्ग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राहत महसूस कर रहा था, केन्द्र सरकार द्वारा हडबड़ी में उठाये गये इस कदम से भौचक्का रह गया। नरेन्द्र मोदी जैसे साहसी राजनेता से इस प्रकार डर कर उठाये गये कदम की सवर्ण मतदाताओं को उम्मीद नहीं थी। देखा जाये तो केन्द्र सरकार के इस अविवेकपूर्ण कदम से प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि सवर्ण मतदाताओं के मस्तिष्क में थी वो चकनाचूर हो गई, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सार्वजनिक मंच से आरक्षण की व्यवस्था कभी भी समाप्त नहीं करने की घोषणाओं से तो रही सही उम्मीद भी समाप्त हो गई।

भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने वाला सवर्ण मतदाता अपने आप को अत्यन्त उपेक्षित एवं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वैसे भी सवर्ण मतदाता भारतीय जनता पार्टी का परम्परागत वोट बैंक माना जाता रहा है। अत: सवर्ण समाज द्वारा केन्द्र सरकार के इस अविवेकपूर्ण कदम के विरूद्ध अपना उग्र विरोध प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भारत बंद का आयोजन किया गया। इससे भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का अहसास तो हुआ लेकिन तब तक बहुत विलम्ब हो चुका था। केन्द्र सरकार की स्थिति सांप छछूंदर वाली हो गई 'ना निगलते बन रहा है और ना उगलते'।

वास्तव में सवर्ण मतदाता इस समय अत्यन्त हताश एवं आक्रोशित है, उसे भारतीय जनता पार्टी से अब कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में सवर्ण मतदाता के वोट में तो बिखराव निश्चित है। रहा सवाल आरक्षित मतदाता को, तो वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं रहा है और उसके वोट प्राय: जातीय नेताओं की जेब में जाते है। भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ग से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।

हाल ही सरकार ने यूजीसी एक्ट लाकर सामान्य वर्ग की कोढ में खाज का काम किया है। यूजीसी एक्ट को लागू करने का काम कोई शुभ संकेत नही है। फिर सबका साथ सबका विकास का ढोल पीटने वाली केन्द्र सरकार देश की 40 करोड कथित सवर्ण आबादी को इस एक्ट के माध्यम से अपराधी की श्रेणी में कैसे रख सकती है ?

दूसरा आश्चर्य ये है कि जिस संसदीय समिति ने यूजीसी के नियमों को सख्त (जहरीला) बनाकर एक्ट के रूप में पास किया है उसमें कथित सवर्णों के परिपक्व और वरिष्ठ सदस्य शामिल थे। दिविजय सिंह, घनश्याम तिवाडी, संवित्त पात्रा आदि-आदि की विद्वत्ता और दूरदृष्टि क्या लम्बे अवकाश पर भेज दी गई है ? और सरकार अथवा विपक्ष की तरफ से कोई भी नेता इस भारत द्रोही कदम पर नीम चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है।

यह एक डरावना सच है कि किसी संसदीय समिति द्वारा पारित किए गये एक्ट को सुप्रीमकोर्ट बिना नोटिस जारी किए पहली ही सुनवाई में न केवल स्टे करता है बल्कि सख्त लहजे में उसे फिर से लिखने का सुझाव भी देता है। इससे संसद, शिक्षा मंत्री और प्रंतप्रधान की प्रतिष्ठा भी गिरी है।

यूजीसी एक्ट हमें ये दुखद् सच स्वीकार करने को मजबूर करता है कि हमारी अपनी सरकार भी रोलेट एक्ट या साइमन कमीशन की तर्ज पर खुद को अंग्रेज प्रभु घोषित करना चाहती है। हमारा मानना है कि अस्थाई सरकारे भारत के स्थाइत्व को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकती हैं। केन्द्र सरकार की पार्टी इस तथ्य को समझे नहीं तो उसका 2047 तय शासन का सपना पूरी तरह यादों की बारात बन कर रह जायगा ।

-समता डेस्क

हाल ही सरकार ने यूजीसी एक्ट लाकर सामान्य वर्ग की कोढ में खाज का काम किया है। यूजीसी एक्ट को लागू करने का काम कोई शुभ संकेत नही है। फिर सबका साथ सबका विकास का ढोल पीटने वाली केन्द्र सरकार देश की 40 करोड कथित सवर्ण आबादी को इस एक्ट के माध्यम से अपराधी की श्रेणी में कैसे रख सकती है ?

केन्द्र सरकार के यूजीसी पर उठाये गये इस अविवेकपूर्ण कदम से प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि सवर्ण मतदाताओं के मस्तिष्क में थी वो चकनाचूर हो गई, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सार्वजनिक मंच से आरक्षण की व्यवस्था कभी भी समाप्त नहीं करने की घोषणाओं से तो रही सही उम्मीद भी समाप्त हो गई।

पौराणिक कथन: 'गणदेवता'

ये संख्या में है- आदित्या, विश्वदेवा, वसु, तुषित, आभास्वर, अनिल, महाराजिक, साध्य और रूद्र।

मर मर कर फिर जीने वाला,
रक्त मनुज का पीने वाला।
आरक्षण है दुष्ट भेड़िया-
गुण की गरिमा खाने वाला।।

कविता

कुछ मुक्तक

(1)

भारत भू की दुष्ट कथा है,
आरक्षण इक विकट व्यथा है,
गूगी बहरी संसद सत्ता-
लोकतंत्र की भ्रष्ट प्रथा है।

(2)

अपनी ढपली अपना राग,
बिना रंग के खेलें फाग,
नेता सभी दिखे बॉटते-
घर-घर आरक्षण की आग ।।

(3)

रक्तबीज अब परम देवता,
हर किन्नर को मान घेवता,
दे आरक्षण मुफ्त रेवडी-
दोहरा रहा रक्त नीचता ।।

(4)

संतानों के बन हत्यारे,
समझे अपने वारे न्यारे,
बंद आँख पढते आरक्षण-
पिता बने फिरते हरकारे ।।

(5)

संविधान अब बना डायरी,
करती किस्मत हाय हाय री,
गुण गरिमा का ब्याह टूट्ता-
आरक्षित की मुफ्त भाँवरी ।।

(6)

धर्म धुरंधर धंधा करते,
आरक्षित अपना घर भरते,
जाँय कहाँ भारत के बंदे-
थके दिखे सिर धरते-धरते

-वाई एन शर्मा-

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का कहना है, ''हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, जिसका गंतव्य सामाजिक क्रांति है। यह न तो शक्तिहीन है और न ही निश्चल अथवा स्थिर, बल्कि यह पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और मूल्य-सापेक्ष है, जैसा हमारे गणतंत्र की घोषणा है। जहाँ प्राचीन समाजिक अन्याय पूरी भारतीय मानवता के लिए 'आत्मिक धारा' को अवरूद्ध कर देता है, वहाँ हमारा संविधान गुटनिरपेक्ष नहीं रह जाता।

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनके सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है।

क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण है कि 'अंक तो धर्म, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर दिए जाते है'? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की बढ़ती संख्या ही इसका अनुभवजन्य प्रमाण है? बड़े-से-बड़े सक्रियतावादी भी इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सका है कि' अंक तो जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग के आधार पर दिए जाते है।'

अनुच्छेद 335 में किए गए प्रावधान के अनुसार, ''सेवा अथवा विभाग की कुशलता या गुणवत्ता को बनाए, रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक अथवा अन्य योग्यता स्तर में ढील नहीं दी जा सकती।''

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

आखिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यो नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते है और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघान होता है।

यह दु:खद बात है कि कानून-निर्माता कभी-कभी अनावश्यक रूप से यह समझने लगते है कि उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीश अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(4) के अंर्तगत रखी गई शर्तो की ओर से पूरी तरह उदासीन हैं। न्यायपालिका संविधान के तीन अंगों में से एक है और जिन लोगों को न्याय-प्रशासन के मामलों का कार्यभार सौंपा जाता है, उन्हें संवैधानिक शर्तों-प्रावधानों की विशेष समझ होनी चाहिए।

दावा खारिज: एससी-एसटी-ओबीसी से बराबरी नहीं

EWS उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में नहीं मिल सकती SC-ST और OBC जैसी आयुसीमा की छूट: हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षाओं में अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के समान आयु-छूट (age relaxation) संबंधी याचिका खारिज कर दी है।

यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) उम्मीदवारों ने समान छूट की मांग की थी। जिसमें मांग की गई थी केंद्र सरकार के तहत सीधी भर्तियों और नौकरियों में (EWS) उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट दी जाए। जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने ये फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो उन्हें आयु-सीमा और प्रयासों यानी अतिरिक्त अवसर में भी वही छूट मिलनी चाहिए, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी वर्ग को मिलती है। उनका कहना था कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उन्हें भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अतिरिक्त अवसर मिलना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने 31 जनवरी 2019 के डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन, 2022 के एफ्एक्यू और सिविल सेवा परीक्षा-2024 नोटिफिक्रेशन को चुनौती देते हुए कहा था कि 10 प्रतिशत आरक्षण के बावजूद एससी-एसटी-ओबीसी जैसी छूट न देना अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

केंद्र सरकार ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस और एससी-एसटी-ओबीसी श्रेणियां समान नहीं हैं। एससी-एसटी-ओबीसी वर्ग को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण उन्हें विशेष छूट दी जाती है। दूसरी ओर, ईडब्ल्यूएस केवल आर्थिक आधार पर परिभाषित श्रेणी है, जिसमें सामाजिक पिछड़ापन शामिल नहीं है। इसलिए दोनों वर्गों को समान सुविधाएं देना आवश्यक नहीं है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के तर्क को स्वीकार करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि आयु में छूट देना या न देना एक नीतिगत निर्णय है। इसे तय करने का अधिकार सरकार के पास है। जब तक कोई नीति स्पष्ट रूप से असंवैधानिक न हो, तब तक न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

कोर्ट ने कहा कि आयु-सीमा और प्रयास तय करना नीति का विषय है, जिसमें प्रशासनिक और वित्तीय पहलू जुड़े हैं। यह विधायिका व कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा नियमों में ईडब्लूएस के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है, इसलिए इसे अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र की नीतियों में समानता का दावा नहीं किया जा सकता। भर्ती से जुड़े नियम संबंधित प्राधिकरण तय करते हैं, जिनमें न्यायिक हस्तक्षेप सीमित है।

ऐतिहासिक फैसला: धर्म बदलने के साथ एससी का दर्जा समाप्त, कोई अपवाद नहीं

मुस्लिम-ईसाई में धर्मांतरण तो एससी का दर्जा खत्म, कानूनी लाभ नही: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि हिंदू, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति एससी का सदस्य नहीं माना जा सकता। किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर व्यक्ति का एससी का दर्जा तत्काल और पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।

कोई व्यक्ति एक बार ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है और सक्रिय रूप से उसका पालन करता है, तो वह एससी समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता। वह एससी के संरक्षण के लिए बने किसी भी कानून के तहत वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण या अधिकार उस व्यक्ति द्वारा दावा नहीं कर सकता और न ही उसे लाभ दिया जा सकता है।

जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने आंध्र प्रदेश के एक पादरी की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

हिंदू-सिख-बौद्ध नहीं तो एससी नहीं

बेंच ने कहा संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के खंड 3 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म का पालन नहीं करता है अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। जहां कोई व्यक्ति संविधान खंड 3 के आधार पर एससी का सदस्य नहीं रह जाता है, तो इस स्थिति के खोने के साथ ही वैधानिक लाभों, संरक्षणों, आरक्षणों, वरीयताओं और उन सभी अधिकारों के लिए पात्रता स्वत: और तत्काल समाप्त हो जाती है। यह अलगाव पूर्ण है और इसमें कोई अपवाद नहीं है।

एससी के लिए बने कानून में वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण या अधिकार का दावा नहीं

राजस्थान, मध्यप्रदेश के लिए अहम निर्णय

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हिंदू धर्म से मुस्लिम व ईसाई धर्म में धर्मांतरण को लेकर महत्वपूर्ण है। देश में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड व आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जनजातीय इलाकों में ईसाई धर्मांतरण बड़ा मुद्दा बना हुआ है।

धर्मांतरण पर इन लाभों से होंगे वंचित

* शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश व नौकरियों में आरक्षण ।
* एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून का लाभ नहीं।
* सरकारों द्वारा एससी-एसटी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति।
* वित्त निगम के जरिए रोजगार के लिए सस्ते कर्ज की व्यवस्था।

विश्वविद्यालयों में संविदा कर्मियों के लिए आरक्षण अनिवार्य, ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं

यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन का विवाद अब तक थमा भी नहीं है और विश्वविद्यालयों में अस्थायी भर्ती को लेकर निकाले गए नए आदेश ने भी तूल पकड़ लिया है।

यूजीसी ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के नियमों का हवाला देते हुए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र लिखकर कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय में अगर 45 दिन से अधिक समय के लिए कोई भी अस्थायी भर्ती की जाती है, तो आरक्षण नियमों की पालना करनी होगी।

शिक्षकए गैर-शिक्षक या प्रशासनिक कर्मचारी की अस्थायी नियुक्ति की जाती है, तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी का नियमानुसार आरक्षण लागू करना अनिवार्य है। अब विभिन्न वर्गों ने

यूजीसी के नए आदेश का विभिन्न संगठनों ने जताया विरोध, ईडब्ल्यूएस को भी लाभ देने की मांग उठाई

इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अनदेखा करने का आरोप लगाया है, साथ ही ईडब्ल्यूएस को भी शामिल करने की मांग की है।

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से 2023-24 और 2024-25 के दौरान की गई संविदा आधारित नियुक्तियों का पूरा विवरण भी यूजीसी के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों में संविदा पर भर्ती में आरक्षण लागू करने आदेश जारी किया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अनदेखी की है। सरकार इस आदेश में ईडब्ल्यूएस को शामिल नहीं करेगी, तो हम आंदोलन करेंगे।

विष्णु शर्मा, प्रदेश महासचिव, शिक्षा प्रकोष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज

अस्थायी नियुक्तियों में भी ईडब्ल्यूएस को शामिल नहीं किया जा रहा, यह भेदभाव है। हम केंद्र केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस आदेश में तुरंत बदलाव करके ईडब्ल्यूएस को भी लाभ देने की मांग कर रहे हैं।

सुनील उदेड्या, संयोजक, ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच

अब साफहुई है, क्रीमी लेयर की तस्वीर

हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी महासंघ वाले मामले में मार्च 2026 मे साफ कर दिया कि ओबीसी आरक्षण की बुनियाद सामाजिक उन्नति है, केवल और केवल आमदनी नहीं है। क्रीमी लेयर का सिद्धांत सामाजिक और शैक्षणिक पिछडेपन को दूर करने के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यदि किसी व्यक्ति के माता-पिता ग्रुप सी या डी में आते है तो चाहे उनका वेतन कितना भी हो, उनकी संतान नॉन क्रीमी लेयर ही मानी जाएगी। यह फैसला उन युवाओं को राहत देगा जिन्हें वेतन का आंकड़ा आठ लाख पार कर जाने पर नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। जब माता-पिता संवैधानिक पद पर पदासीन रहे हों या वे सीधी भर्ती से ग्रुप ए पद पर हो तब उनकी संतान को क्रीमी लेयर माना जायेगा। ऐसी संतानों को नॉन क्रीमी लियर नहीं माना जायेगा जिनके माता-पिता क्लास दो के ग्रुप बी अधिकारी है। हाल ही में सुनीता यादव के मामले में सहायक आचार्य के पद पर चयनित उम्मीदवार गेस्ट फेकल्टी शिक्षक के पद कार्यरत होकर आय अर्जित कर रही थी। उसके पति सिविल जज है, उसके बावजूद चयनित महिला उम्मीदवार को नॉन क्रीमी लेयर मानते हुए उसके चयन पर वैधता की मोहर लगाई गई।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in